उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-55/2016/1279/62-2-2016-2/4(27)/1994
लखनऊ:दिनांक: 27 मई,2016

कार्यालय आदेश

शासनादेश सं0-50/2015-वे0आ0-2-871/दस-62(एम)/2008, दिनांक 26-8-2015 तथा शासनादेश सं0-08/2015-वे0आ0-2-190/दस-62(एम)/ 2008टी0सी0-I, दिनांक 03-03-2015 के आलोक में राज्य कर्मचारियों/ अधिकारियों के सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी की दिनांक 10-05-2016 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के अनुसार उक्त शासनादेश दिनांक 26-8-2015 एवं 03-03-2015 में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख कालम-5 में अंकित तिथि से देय द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी/पद का नाम	वित्तीय स्तरोन्नयन	वेतन-बैण्ड/ग्रेड पे	देय तिथि
1	2	3	4	5
1-	श्री बृजभान सिंह, अधीक्षण अभियंता	तृतीय	वेतन बैण्ड-4 37400-67000 ग्रेड पे-8700	27-09-2012
2-	श्री शिवशरण सिंह, अधीक्षण अभियंता	तृतीय	वेतन बैण्ड-4 37400-67000 ग्रेड पे-8700	23-09-2012
3-	श्री हरीश चन्द्र गुप्ता, अधिशासी अभियंता	द्वितीय	वेतन बैण्ड-3 15600-39100 ग्रेड पे-6600	01-12-2008
		तृतीय	वेतन बैण्ड-3 15600-39100 ग्रेड पे-7600	13-6-2014
4-	श्री राम पलट, सहायक अभियंता (फरवरी,2015 को सेवा निवृत्त)	तृतीय	वेतन बैण्ड-3 15600-39100 ग्रेड पे-7600	24-7-2009

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5-	श्री राजेश कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता	तृतीय	वेतन बैण्ड-3 15600-39100 ग्रेड पे-7600	13-6-2014
6-	श्री बी0सी0 जोशी, सहायक अभियंता	तृतीय	वेतन बैण्ड-3 15600-39100 ग्रेड पे-7600	13-6-2014

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव।

सं0-55/2016/1279(1)/62-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
4- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
5- संबंधित कोषागार, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- संबंधित अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता की व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु।
8- संबंधित अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंतागण।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।